

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर
पीठासीन अधिकारी :- श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस..
राजस्व आवेदन संख्या -31/2026
उनवान

प्रार्थीगण

कुमार पुत्र लिखमारा
ताराम पुत्र लिखमारा
पुदेवी पत्नी लिखमारा
जाति जाट, निवासी लोलो की ढाणी
कोटडिया तला खारा राठौडान तहसील
रामसर जिला बाडमेर।



विप्रार्थीगण

1. गंगाराम पुत्र धुडाराम
2. लालाराम पुत्र ताजाराम
3. मुलाराम पुत्र ताजाराम
4. जोधाराम पुत्र धुडाराम
5. खरथाराम पुत्र हुकमाराम
6. कलाराम पुत्र हुकमाराम
7. उतमाराम पुत्र पांचाराम
8. मंगलाराम पुत्र पांचाराम
9. मुलाराम पुत्र सवाईराम
10. परागाराम पुत्र विरधाराम
11. कानाराम पुत्र सरदाराराम
12. सवाईराम पुत्र सरदाराराम
13. खरथाराम पुत्र हुकमाराम जाति जाट, निवासी लोलो की ढाणी कोटडिया तला खारा राठौडान तहसील रामसर जिला बाडमेर।
14. तहसीलदार रामसर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते नेखमबंदी

दिनांक :- 17/4/2026

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 28.01.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा कोटडिया तला पटवार मण्डल हाथमा भूअनि सियाणी के खसरा संख्या क्रमशः 377, 378, व 383 रकबा क्रमशः 11.8977, 0.1214, व 7.9723 हेक्टर, उनके खाते की कृषि भूमि अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विप्रार्थीगण पड़ोसी खातेदार हैं। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य आराजियात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिससे कि प्रार्थी अपने खेत की पक्की नेखमबंदी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी का आदेश प्रदान किया जावे। प्रकरण के अवलोकन में यह तथ्य प्रमाणित है कि विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खेत की कृषि भूमि की नेखमबंदी करवाने का हकदार है। विप्रार्थीगण को नोटिस रजिस्टर्ड डाक से जारी होने के बावजूद बाद तामिल विप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 7 से 14 अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। विप्रार्थी संख्या 6 की ओर से विप्रार्थी वकील द्वारा जवाब प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायाहित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध विप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मौजा कोटडिया तला पटवार मण्डल हाथमा भूअनि सियाणी के खसरा संख्या क्रमशः 377, 378, व 383 रकबा क्रमशः 11.8977, 0.1214, व 7.9723 हेक्टर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार रामसर को 1000/- अक्षरों रूपये एक हजार रूपये मात्र पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार रामसर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उपरोक्त आराजियात में किसी न्यायालय का स्थगन एवं मौके पर फसल खड़ी होने की स्थिति में नेखमबंदी की कार्यवाही नहीं की जावे। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों/अधिसूचनाओं में दिये गये दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए, मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर नेखमबंदी की कार्यवाही की जावे तथा उक्त प्रकरण में दर्ज सभी प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण को लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में उक्त खसरों के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करवाये जावें। कमिश्नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। आवश्यकतानुसार तहसीलदार रामसर को संबंधित पुलिस थाने से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। उपरोक्तानुसार नेखमबंदी की समयबद्ध पालना की जाकर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें। यह आदेश आज दिनांक 08.04.2026 मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया। पत्रावली फेसल सुमार हो नंबर से कम हो।

क्रमांक : रीडर/2026/275-78
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर को भेजकर लेख है कि प्रकरण में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर 15 दिवस में पालना से न्यायालय को अवगत करावें।
2. थानाधिकारी पुलिस थाना रामसर।
3. प्रार्थीगण अजय कुमार वगैराह।
4. विप्रार्थीगण गंगाराम वगैराह।

(राम लाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी रामसर

दिनांक : 17/4/2026



उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी रामसर